



जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ।

विज्ञापन संख्या-01/2020

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) अन्तर्गत संविदा के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) प०सिंहभूम, चाईबासा अन्तर्गत संविदा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र०सं०	आवेदित पद का नाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6
01	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	01	00	03

नोट :- नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

उपरोक्त रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त हेतु जिला के स्थानीय अम्बर्थी ही पात्र होंगे।

(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का अधिसूचना संख्या-14/स्थानीय नीति-14-01/2015/5938, दिनांक-14.07.2016 एवं आदेश संख्या-47/स्थानीय नीति-14-01/2015/5939, दिनांक-14.07.2016 के आलोक में) अतः इस जिला के योग्य अम्बर्थियों से निम्न दिशा-निर्देश एवं शर्तों के तहत विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :-

- आवेदन पत्र-विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे तथा वांछित सभी प्रकार के प्रमाण-पत्रों की स्वाभिप्रमाणित प्रति उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। लिफाफे पर निश्चित रूप से आवेदित पद का नाम, कोटि, मोटे अक्षर में लिखना अनिवार्य होगा।
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03/02/2020 तक कार्यालय अवधि में अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में ही भरे जायेंगे जिसे जिला के वेबसाईट www.chaibasa.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

नियुक्ति हेतु शर्त निम्नवत् है :-

1. मासिक परिलब्धि/संविदा राशि :- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज) के अधिसूचना संख्या 689 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर का देय मानदेय।

क्र०सं०	आवेदित पद का नाम	मासिक मानदेय	अभ्युक्ति
01	कम्प्यूटर ऑपरेटर	₹ 10,000/- (दस हजार) रुपये	कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर संविदा पर नियुक्त कर्मियों को मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

❖ जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, प०सिंहभूम, चाईबासा को यह अधिकार होगा की वे इस संबंध में आवश्यक संशोधन कर सके।

2. शैक्षणिक योग्यता :-

I. अनिवार्य योग्यता :-

- a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे :-
- बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स
 - बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य
 - बी०सी०ए०
 - सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण।
- b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी०एस०सी०कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि अंकित किया जायेगा।

II. अतिरिक्त योग्यता :-

- a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।
- b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा तथा तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

3. आयु सीमा 01.02.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष

4. अधिकतम : आयु सीमा

(क) अनारक्षित	:-	35 वर्ष
(ख) पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	:-	37 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	:-	38 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	:-	40 वर्ष

5. आरक्षण – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर पश्चिमी सिंहभूम जिला के तत् संबंधित निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। आरक्षण के दावा हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही लिफाफे के ऊपर पद एवं कोटि का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प सं०-5939/दि०-14.07.2016 क आलोक में इन पदों पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्थानीय निवासियों की ही नियुक्ति की जाएगी।

अतः आवेदन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। अन्यथा उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी। संविदा का हर वर्ष नवीकरण होगा।

7. नियुक्ति का प्रकार, पदस्थापन, स्थल, एवं नियुक्ति की अवधि/नियुक्ति का नवीकरण कार्य :-

(क) यह नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा की कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम-07 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त कर दी जायेगी।

8. अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना होगा कि वे अन्य किसी नियोक्ता के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हैं एवं किसी अन्य तरीके से लाभ अर्जन नहीं कर रहे हैं। यदि उनका यह शपथपत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

9. जिला स्तरीय नियुक्ति समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आंशिक यह पूर्ण रूप से रद्द कर सकती है।

10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय नियुक्ति समिति का होगा और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।



उपायुक्त-सह-
अध्यक्ष DMFT,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

ज्ञापांक 51 दिनांक 20/01/2020

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन एवं आवेदन हेतु विहित प्रपत्र को जिला के वेबसाइट www.chaibasa.nic.in पर शीघ्रताशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।



उपायुक्त-सह-
अध्यक्ष DMFT,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।



जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ।

विज्ञापन संख्या-01/2020

स्वअभिप्रमाणित
पासपोर्ट साईज फोटो
(विगत छः माह का)

आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. अभ्यर्थी का नाम :-
a) (हिन्दी में) -
b) (अंग्रेजी में) -
2. पिता/पति का नाम :-
a) (हिन्दी में) -
b) (अंग्रेजी में) -
3. माता का नाम :-
4. स्थायी पता :-
5. वर्तमान पता :-
6. दूरभाष/मोबाईल संख्या :- Email id (Capital Letters)
7. जन्म तिथि :-

--	--	--
8. दिनांक-101.03.2019 को आयु :- वर्ष

--

 माह

--

 दिन

--
9. लिंग :- (√) महिला

--

 पुरुष

--
10. कोटि :- (√) अ०जा०

--

 अ०ज०जा०

--

 पिछड़ा वर्ग

--

 सामान्य वर्ग

--
11. आवासीय प्रमाण-पत्र की विवरणी (अनुमण्डल/उपायुक्त) की संख्या एवं तिथि :-
12. जाति प्रमाण-पत्र की विवरणी (अनुमण्डल/उपायुक्त) की संख्या एवं तिथि :-
13. अनुभव का विवरणी :-
a)
b)
c)
14. शपथ-पत्र का विवरणी :-

15. शैक्षणिक योग्यता

अनिवार्य योग्यता					
क्र०सं०	परीक्षा का नाम (सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से)	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
01	B.Sc कम्प्यूटर ऑनर्स				
02	B.Sc कम्प्यूटर सामान्य				
03	बी०सी०ए०				
04	सामान्य स्नातक के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए०				

अतिरिक्त योग्यता					
क्र०सं०	परीक्षा का नाम (सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से)	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
01	एम०सी०ए०				
02	पी०जी०डी०सी०ए०				
03	बी०सी०ए०				
04	B.Sc कम्प्यूटर साईंस				

(नोट :- आयु प्रमाण, आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक, अनुभव प्रमाण-पत्र स्वः अभिप्रमाणित की छायाप्रति प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा वर्णित जानकारी सही एवं सत्य है। यदि मेरा/मेरी द्वारा कोई जानकारी गलत या झूठ पाई जाती है, तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकता/सकती है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर